(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉं (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 99 / 2023

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2023 / 224

बउनवान

हरिबल्लभ आयु 74 वर्ष पुत्र बद्रीदास जाति बैरागी निवासी छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बाराँ
(अपीलांट)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बाराँ
2. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर, जिला बाराँ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल नं0 689 दिनांक 26.07.1982 कस्बा छीपाबड़ौद की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्टगण)

निर्णय दिनांक 22.07.2024

प्रकरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 344 / 2021 किस्म अपील इंतकाल अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 बनवान हरिबल्लभ बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 13.04.2022 की अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग कोटा मे करने पर उनके द्वारा प्रस्तुत अपील को उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 03 / 2023 पर अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में उनके द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2023 से इस न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर उपरोक्त विवेचित तथ्यों / दिशा–निर्देशों का समुचित परीक्षण कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया।

प्रकरण इस न्यायालय मे पुनः दिनांक 22.08.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट द्वारा जर्ये श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक के उपस्थिति दी गई। प्रकरण में रेस्पो. क्रम 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतकाल तलब किया गया जिसके प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग कोटा द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 603 रकबा 6 बिस्बा, खसरा नम्बर 606 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 604 / 1288 रकबा [illegible] खसरा नम्बर 608 / 1289 रकबा 5 बिस्वा किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा आराजी ग्राम छीपाबड़ौद में स्थित है, जो अपीलांट के पिता ब्रदीदास द्वारा न्यायालय [illegible] संख्या 65 बद्रीदास बनाम तहसीलदार छीपाबड़ौद धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया था [illegible] दिनांक 23.12.1965 को डिक्री किया गया। उस डिक्री की पा[illegible] में इंतकाल नं. 147 [illegible]3.1966 को अपीलांट के पिता ब्रदीनाथ के खाते दर्ज कर दी गई, तभी से यह भूमि बद्रीदास के खाते चली आ रही थी। तहसीलदार, छीपाबड़ौद ने इंतकाल नं. 689 दिनांक 27.06.1982 को अपीलांट के खाते से हटाकर वापस मंदिर के नाम दर्ज कर दी, जो मंदिर रामचंद्र विराजमान पुजारी बद्रीदास वल्द गोपीदास बैरागी का नाम किया, इस इंतकाल में तहसीलदार ने राज्य सरकार के एक आदेश का हवाला दिया, वह परिपत्र जिलाधीश, कोटा ने जारी किया था। उस परिपत्र की

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.08.07 13:52:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रति इंतकाल के साथ लगी हुई है। उसमें यह है कि खातेदारी मंदिर की भूमि पुजारी के नाम से हटाकर मंदिर के नाम की जावे, किंतु यह भूमि पूर्व में मंदिर की नहीं थी। न्यायालय की डिक्री से दिनांक 23.12.1965 से बद्रीदास के खाते इंतकाल नं. 147 से खाते दर्ज की गई थी। इस कारण इस भूमि को मंदिर की भूमि नहीं माना जा सकता और यदि माना भी जावे तो इंतकाल दर्ज करने से पहले जो खातेदार था, उसको नोटिस तहसीलदार द्वारा देना चाहिये था, जो तहसीलदार ने नहीं दिया। इसके ऊपर 2016 आर.बी.जे. 712 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की रूलिंग चतराराम बना चोलाराम है, जिसमें राजस्व मण्डल ने यही कहा है कि जिस व्यक्ति का नाम खातेदारी में दर्ज है, उसको सुने बगैर उसका नाम नहीं हटाया जा सकता। इसी प्रकार 2011–12 सप्लीमेंट्री आर.आर.टी. 673 राजस्व मण्डल अजमेर ने भी यहीं कहा है कि जो खातेदार है, उसको सुने बगैर उसको नोटिस दिये बगैर कोई भी निर्णय पारित नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम कैलाश आर.आर.डी. 2017 पेज 364 में भी यहीं माना गया है कि जो भूमि माफी खुदकाश्त दर्ज नहीं है, टीनेंट द्वारा काश्त की जा रही है, तो जागीर रिंजम्पशन के बाद माफी मंदिर की नहीं मानी जायेगी और उस व्यक्ति की खातेदारी में मानी जायेगी। यह स्थिति राज. उच्च न्यायालय द्वारा तारा बनाम राजस्थान सरकार में स्पष्ट कर दी है और इस प्रकरण में न्यायालय सहायक समाहर्ता ने तहसीलदार को सुनकर डिक्री जारी करके बद्रीदास के खाते दर्ज करने के आदेश दिये थे। जिस परिपत्र के आधार पर तहसीलदार ने इंतकाल खोला है, वह परिपत्र इस प्रकरण में लागू नहीं होता है और यदि सहायक समाहर्ता ने गलत डिक्री जारी कर दी, तो उसके खिलाफ तहसीलदार को सक्षम न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील दायर करना चाहिये था और यदि अपील का समय निकल गया हो तो उसका रेफरेंस बनाकर राज्य सरकार को राजस्व मण्डल में भेजना चाहिये था। इस पर आर.आर.डी. 2013 पेज 45 एवं आर.आर. 2014–15 सप्लीमेंट्री पेज 138 में राजस्व मण्डल में स्पष्ट व्यवस्था दी है।

जहां तक इस प्रकरण में अपील का प्रश्न है, उसमें दो बार मियाद के प्रश्न पर अपील खारिज की थी, किंतु दोनों हीं बार अति. संभागीय आयुक्त, कोटा ने अपील मंजूर करके माननीय न्यायालय को यह आदेश दिया है कि जहां पर कानून की विसंगति हो, वहां पर मियाद का प्रश्न नहीं देखा जाना चाहिये तथा मेरिट पर हीं निर्णय करना चाहिये था। अति. संभागीय आयुक्त, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 27.10.2021 में भी यहीं लिखा है कि इस प्रकरण में पुनः गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पूर्व में भी इसी प्रश्न पर पत्रावली रिमाण्ड की गई थी।

अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल नं. 689 दिनांक 26.07.1982 तहसीलदार, छीपाबड़ौद निरस्त फरमाया जावें तथा उनको निर्देशित किया जावे कि पक्षकार को सुनकर पुनः निर्णय पारित करें।

रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार ने दौराने बहस प्रकरण मे तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा प्रस्तुत जवाब को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का बिन्दु संख्या 1 अस्वीकार है। वाद के इस बिन्दु मे वर्णित भूमि ग्राम छीपाबडौद जिला बारॉ के खसरा नम्बर 603 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 606 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 604/1288 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 608/1289 रकबा 05 बिस्वा किता 4 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा मिसल बन्दोबस्त संवत 2013 से 2032 तक मे श्री रामचन्द्र जी विराजमान देह कब्जा पुजारी बद्रीदास वल्द गोपीदास कौम बैरागी के नाम दर्ज रिकार्ड थी। इसके अतिरिक्त इसी ग्राम के खसरा नम्बर 604 रकबा 05 बिस्वा भूमि श्री रामचन्द्र जी विराजमान देह कब्जा पुजारी बद्रीदास वल्द गोपीदास कौम बैरागी के नाम दर्ज खाता संख्या 283 है। पुजारी बद्रीदास का देहान्त हो चुका है जिसके कायम मुकामान रिकार्ड पर नही लिए गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.08.07 13:52:25 IST
Reason: SelfAttested

अपील का बिन्दु संख्या 2 मे खाता संख्या 243 मे दर्ज भूमि रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा को नामान्तरण संख्या 147 दिनांक 31.03.1966 से बद्रीदास पुत्र गोपीदास बैरागी के नाम दर्ज कर दिया गया। जो विधि विरूद्व था, क्योकि उक्त भूमि माफी मन्दिर की थी। अतः उक्त नामान्तरण खारिज योग्य था।

अपील का बिन्दु संख्या 3 भूमि माफी मन्दिर श्री रामचन्द्र विराजमान सा0 देह की थी, जो सेटलमेन्ट के समय से ही मन्दिर के नाम दर्ज थी, उसे नामान्तरण संख्या 147 से पुजारी श्री बद्रीदास पुत्र गोपीदास के नाम दर्ज कर दी गयी है, जो विधि विरूद्व था। नामान्तरण संख्या 689 दिनांक 26.07.1982 से उक्त भूमि को श्री रामचन्द्र जी विराजमान सा0देह पुजारी बद्रीदास वल्द गोपीदास बैरागी मे नाम दर्ज कर दिया गया था। जो आंशिक रूप से सही था। उक्त भूमि माफी की है। अतः भूमि को रामचन्द्र जी महाराज विराजमान सा0 देह के नाम से दर्ज फरमावे। पुजारी का नाम हटाया जाना उचित होगा।

अपील का बिन्दु संख्या 4 अस्वीकार है उक्त भूमि सेटलमेन्ट के समय से मन्दिर रामचन्द्र जी महाराज के नाम दर्ज चली आ रही थी, जिसे नामान्तरण संख्या 147 से पुजारी श्री बद्रीदास पुत्र गोपीदास के नाम दर्ज कर दी गई थी जो विधि विरूद्व थी। जो पुनः नामान्तरण संख्या 689 से श्री रामचन्द्र जी विराजमान सा0 देह पुजारी बद्रीदास वल्द गोपीदास बैरागी के नाम दर्ज कर दिया गया। पुजारी का नाम हटाया जाना उचित होगा।

अतः निवेदन है कि नामांतरण नं. 689 दिनांक दि. 26.7.1982 को दर्ज किया गया था। जिसको लगभग 33 वर्ष हो गये है जो मियाद बाहर है। अतः अपील न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। कृपया अपील खारिज फरमावें।

प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी उस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा इन्तकाल नंबर 689 दिनांक 26.07.1982 कस्बा छीपाबडौद, तस्दीक किया गया है जिसकी अपील अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है जिसमे अपीलांट के अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई ओर अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल इंतकाल एवं प्रस्तुत अपील पर जवाब के अवलोकन से पाया गया कि उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड मे मंदिर के नाम है। उक्त विवादित भूमि जागीर अधिनियम, 1952 के तहत जागीर भूमि राजस्व रिकार्ड मे नही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दियो मे कब्जा पुजारी बद्रीदास लिखा हुआ है। अपीलांट के पिता बद्रीदास खातेदार कृषक के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे नही रहे है, मात्र कब्जेदार रहे है।

उक्त इंतकाल की अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे 33 वर्ष बाद काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गई है ओर लिमिटेशन के बिन्दु पर कोई चाराजोही भी नही की गई है। इसमे अपीलांट की लापरवाही ही दृष्टिगोचर होती है, लापरवाह पक्षकार के प्रति नरमी का रूख नही अपनाया जा सकता। अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी के प्रत्येक दिन का युक्तियुक्त एवं समुचित कारण बताया जाना आवश्यक होता है।

प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों RRD 2017 page no. 364 State of Raj. V/s Kailash & ors.-(77) decided on 28th November, 2016 एवं 2011–12 (Supp.) RRT 673 Board of Revenue For Rajasthan, Ajmer Polaram & ors. V/s Megharam &ors. Decide don 1st Aug., 2012 एवं 2016 RBJ 712 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर चतुराराम बनाम चोलाराम निर्णय दिनांक 13.10.2016 एवं RRD 20[illegible]no. 45 State of Raj. V/s L.Rs. of Lalu & ors. Decide don 3rd December, 2012 एवं 2014 [illegible] (Su[illegible]) RRT 138 Board Of Revenue For Rajasthan, Ajmer State of Rajasthan V/s Virendra K[illegible] Decide don 14th May, 2015 का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत इस अपील पर साबित नही होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.08.07 13:52:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में अपीलार्थी अपनी अपील के प्रति सजग नही रहा है एवं अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी का कोई समुचित कारण नही बता पाया है जिससे अपील प्रस्तुत करने मे हुई 33 वर्ष की देरी को माफ नही किया जा सकता है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से यह न्यायालय अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित समझता है।

पेरोकार सरकार के कथन है कि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2013 से 2032 तक मे श्री रामचन्द्र जी विराजमान देह कब्जा पुजारी बद्रीदास वल्द गोपीदास कौम बैरागी के नाम दर्ज रिकार्ड थी। इसके अतिरिक्त इसी ग्राम के खसरा नम्बर 604 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा भूमि श्री रामचन्द्र जी विराजमान देह कब्जा पुजारी बद्रीदास वल्द गोपीदास कौम बैरागी के नाम दर्ज खाता संख्या 283 है। पुजारी बद्रीदास का देहान्त हो चुका है जिसके कायम मुकामान रिकार्ड पर नही लिए गये है।

अपील का बिन्दु संख्या 2 मे खाता संख्या 243 मे दर्ज भूमि रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा को नामान्तरण संख्या 147 दिनांक 31.3.1966 से बद्रीदास पुत्र गोपीदास बैरागी के नाम दर्ज कर दिया गया। जो विधि विरूद्व था, क्योकि उक्त भूमि माफी मन्दिर की थी। अतः उक्त नामान्तरण खारिज योग्य था।

अपील का बिन्दु संख्या 3 भूमि माफी मन्दिर श्री रामचन्द्र विराजमान सा0 देह की थी, जो सेटलमेन्ट के समय से ही मन्दिर के नाम दर्ज थी, उसे नामान्तरण संख्या 147 से पुजारी श्री बद्रीदास पुत्र गोपीदास के नाम दर्ज कर दी गयी है, जो विधि विरूद्व था। नामान्तरण संख्या 689 दिनांक 26.7.1982 से उक्त भूमि को श्री रामचन्द्र जी विराजमान सा0देह पुजारी बद्रीदास वल्द गोपीदास बैरागी मे नाम दर्ज कर दिया गया था। जो आंशिक रूप से सही था। उक्त भूमि माफी की है। जिससे यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है। अतः प्रकरण मे धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है, उक्त विवादित भूमि माफी मंदिर की है। उक्त भूमि को अपीलांट किसी भी प्रकार से अपने नाम कराने का अधिकारी नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

1. अपीलांट का Locus Standii केवल कब्जेदार का ही है।
2. भूमि मंदिर मूर्ति के नाम से रिकार्ड मे रही है, जो कि शाश्वत नाबालिग है।
3. शिकमी काश्तकार संबंधी प्रावधान विचाराधीन प्रकरण पर लागू नही होते है।

अपीलांट हरिबल्लभ पुत्र बद्रीलाल बैरागी निवासी छीपाबडौद कब्जे के आधार पर वादग्रस्त आराजी में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करके ही कोई अनुतोष प्राप्त करना चाहिये था। इंतकाल की कार्यवाही में किसी के हित व स्वत्व निहित नहीं किये जा सकते हैं। इंतकाल कार्यवाही एक समरी प्रोसीडिंग है।

चूंकि वादी अपने वाद का स्वामी होता है। अतः अपीलांट के विद्वान अभिभाषक प्रस्तुत अपील की ताईद मे कोई भी विधिक तथ्य प्रस्तुत करने मे विफल रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया के अनुरूप खोले गये इंतकाल नम्बर 689 दिनांक 26.7.1982 कस्बा छीपाबडौद मे यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझता है।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा तस्दीकी इंतकाल नं. 689 दिनांक 26.07.1982 कस्बा छीपाबडौद तहसील छीपाबड़ौद यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **22.07.202** इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.08.07 13:52:25 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ